

FORM NO. III

फर्द अहकाम

2023/85

(नियम 26)

उप खण्ड अधिकारी
अज अदालत बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ मुकदमा
उसी बनाम कुलेश्वर
किस्म मुकदमा प्र.पत्र 128 LRA सन् 29/2013

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही का विवरण | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|---|---|
| | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>रतनपुर</u>..... ग्राम.....<u>पट्टा राखा 0.5300 ई. पट्टा लखा 0.13 ई.</u> की आ.न.....<u>पट्टा 0.14 = 1.33 ई.</u> की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये...<u>1500/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p> | |

